कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
भदभदा रोड, भोपाल–462003

कमांक–मप्रपुआअविनि/स्था–3/ 1435 /2024 भोपाल, दिनांक 13/06/24

//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत सहायक ग्रेड–03 संवर्ग की उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना विकास निगम में सहायक ग्रेड–03 के पद पर वेतनमान रूपये 19500–62000 (लेवल–04) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षो की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तो के अधीन निम्नलिखित अभ्यार्थियों को नियुक्त किया जाता हैः–

स0क्र0	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री अरशद खान , पिता श्री शहजाद खान, पता–अहमद मस्जिद के सामने जवाहर कालोनी , जिला–शिवपुरी (म.प्र.) पिन–473551 मोबाईल–9893094312	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन
02	श्री देवदत्त शर्मा, पिता–श्री मदन मोहन शर्मा, पता–जी01/17, न्यू सेंट्रल जेल कालोनी, जिला–भोपाल , (म.प्र.) पिन–462038 मोबाईल–7974211826	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओपन
03	सुश्री अनुकृति श्रीवास्तव, पिता श्री महेश श्रीवास्तव, पता–एफ–01 प्लॉट नं.50, चौहान केबल के पास, नाई मंदिर (राधा कृष्ण मंदिर) गली, तलैया , जिला–भोपाल (म.प्र.) पिन–462001 मोबाईल–6261577400	अनारक्षित श्रेणी/महिला
04	श्री सौरभ कुमार, पिता श्री दीपचन्द्र, पता–पुराने बस स्टेड के पास वार्ड नं.26 , जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.) पिन–472001 मोबाईल–6265423924	अनुसूचित जाति/ओपन/
05	श्री दीपक सिंह सोलंकी , पिता श्री बाबूलाल सिंह सोलंकी, पता–ग्राम एंव पोस्ट अहमदपुर खैगॉव तहसील–खण्डवा , जिला–खण्डवा (म.प्र.) पिन–450001 मोबाईल–7987543828	अनारक्षित श्रेणी/ओपन/20 संविदा कोटा
06	श्री संजय किराड , पिता श्री इन्दर सिंह किराड, पता–रीना सदन लक्ष्मीबाई मार्ग, बदनावर जिला–धार (म.प्र.) पिन–454660 मोबाईल–8349222389	अनुसूचित जनजाति/ओपन
07	सुश्री रेखा मैडा , पिता श्री शंकर सिंह मईड़ा, पता–एम2–173 अयोध्या नगरी पुलिस लाईन नंदा नगर , जिला–इंदौर (म.प्र.) पिन–452011 मोबाईल–9589695556	अनुसूचित जनजाति/महिला

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार हैः–

1. अभ्यार्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस के अंदर कार्यालय **मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंचना विकास निगम, भदभदा रोड़, भोपाल** में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक–सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
3. अभ्यार्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

12/6/24

Scanned with CamScanner

4. उक्त अभ्यार्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेगें।
5. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यार्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज् में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. अभ्यार्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
7. अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन मे कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों मे कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
8. उपरोक्त नियुक्तियॉ माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

12/6/24

(उपेन्द्र जैन)
अमनि/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना
विकास निगम भोपाल

कमांक– मप्रपुआअविनि/स्था–3/ /2024/भोपाल, दिनांक..

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ :–

1– पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2– मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
3– अधीक्षण यंत्री–01, 02 ,03, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल ।
4– वित्तीय सलाहकार/मुख्यलेखाधिकारी, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि भोपाल।
5– समस्त परियोजना यंत्री, (सिविल/विद्युत) म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि ।
6– कार्यालय अधीक्षक, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि।
7– निज सचिव/निज सहायक/लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
8– संबंधित अभ्यार्थी ------------------------------ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9– आदेश पंजी।

(उपेन्द्र जैन)
अमनि/प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना
विकास निगम भोपाल

Scanned with CamScanner